प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 12.02.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दिया गया 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.03.2021 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर **थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर मु0अ0सं0 89/21 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री संत कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 अभिषेक एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 12.02.2025 को अन्तर्गत धारा **376/506 भादवि व धारा 4 पोक्सो एक्ट** में मा0 न्यायालय ADJ/स्पे0 जज पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा **अभियुक्त रामजी बाथम पुत्र राकेश बाथम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रामजी बाथम पुत्र राकेश निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।**